अध्याय – 1

प्रस्तावना

योजना आयोग अनुसार ''सुशासन का अर्थ हैं लोगो के लिए ऐसी नीतियाँ व योजनाओं को बनाना और क्रियान्वित करना जो न्याय संगत, पारदर्शी, भेदभाव रहित, सामाजिक रूप से संवेदनशील और जन सहभागिता जैसे मूल्यों से संपन्न हो तथा मुख्य रूप से लोगो के प्रति जवाबदेह हो।''

सुशासन मानव कल्याण और टिकाऊ विकास को सुनिश्चित करने में सहायक होता है इसके मुख्य पहलू निम्न है :–

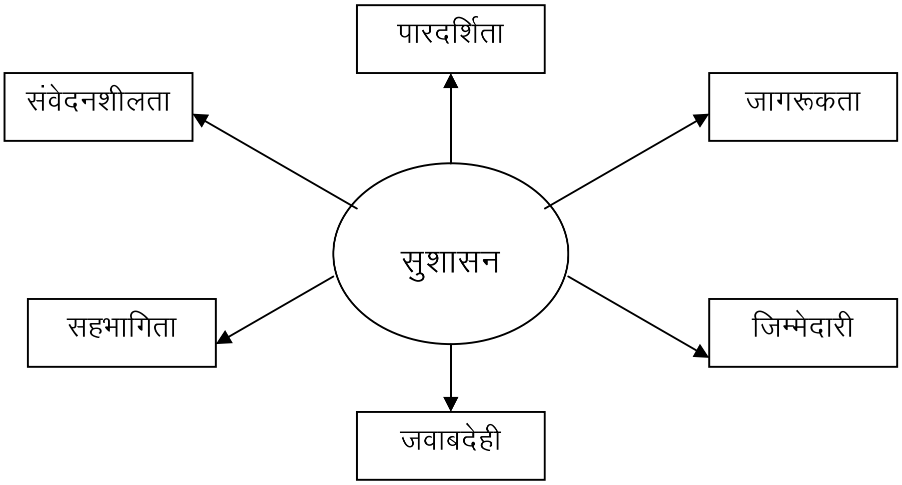

सुशासन मानव अधिकारों की प्राप्ति के लिए एक उपयुक्त वातावरण निर्मित करता हैं अर्थात् यदि शासन संवेदनशील एवं जवाबदेह हैं तो नागरिकों के अधिकारों की प्राप्ति के संबंध में किसी भी प्रकार के विवाद की आशंका समाप्त हो जाती है।

प्रत्येक देश, काल एवं परिस्थिति में, प्रजातांत्रिक राजनैतिक एवं प्रशासकीय व्यवस्था के अंतर्गत प्रजातंत्र की सफलता हेतु आवश्यक है कि :–

- संचालित व्यवस्था लोकहित के अनुरूप हो।
- प्रशासन में उत्तरदायित्व के गुणों का विकास हो।
- भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन हो।
- देश / प्रदेश के नागरिक जागरूक हो।
- प्रशासन में 'पारदर्शिता' का गुण विद्यमान हो।
- लोक प्राधिकारियों की ''जवाबदेही'' सुनिश्चित हो।

सूचना का अधिकार अधिनियम – 2005 एक अत्यंत महत्वपूर्ण अधिनियम है। पूर्व में 'फ्रीडम ऑफ इन्फार्मेशन एक्ट – 2002'' (सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम – 2002) बनाया गया था, इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए, अत्यधिक विकसित रूप में 'सूचना का अधिकार अधिनियम – 2005'' भारत गणराज्य के 56 वें वर्ष में संसद द्वारा अधिनियमित किया गया।

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 दिनांक 12 अक्टूबर 2005 से पूर्ण रूप से लागू हो चुका है तथा इस स्थिति से अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति को सूचना प्राप्त करने का अधिकार मिल चुका है।

सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रमुख औचित्य निम्नानुसार है :–

- पारदर्शी प्रशासन
- प्रशासन में उत्तरदायित्व के गुणों का विकास
- सूचना के अधिकार का प्रभावशाली क्रियान्वयन
- पूरे देश / प्रदेश के लिए समान अधिनियम, समान प्रक्रिया होने के कारण आम जनता आसानी से लाभ उठा सकेगी।
- लोक प्राधिकरणों में 'जवाबदेही' का निर्धारण।